

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(i) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NEW DELHI: THE 30th May 1997

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O.No.

In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies " West Bengal Council for Child Welfare, Calcutta " for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1997-98 to 1999-2000 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

(H. K. CHOUDHARY)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

Notification No. 10370
To

(F.No.197/48/97-ITA-I)

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(11) में प्रकाशित ।

भारत सरकार
वित्त मन्त्रालय
[राजस्व विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 1997

क्र.0आ080
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के
खंड [23ग] के उपखंड [1] द्वारा प्रदत्त शीकों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा "वेस्ट बंगाल नीतिगत पॉर चाइल्ड वेल्फेयर, क्लबिंग" को कर-निर्धारण
वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिशुल्क करती है, अर्थात् :-

[1] कर-निर्धारिता इसकी आय का हस्तगत अथवा इसकी
आय का हस्तगत करने के लिए इसका संपदन पूर्वका तथा
अन्यथा उन उद्देश्यों के लिए होगा, जिनके लिए इसकी
स्थापना की गई है ;

[2] कर-निर्धारिता ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संबंध पूर्वकी
वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा [5] में
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंड अथवा तरीकों से भिन्न
तरीकों से इसकी निधि विवर-जवाबिदात, फॉर्मर आदि के रूप में
प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वीच्छक अंशदान से भिन्न। का नियंत्रण नहीं
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा लगेगा ;

[3] यह अधिशुल्क किसी ऐसे आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो
कि करोंबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलेख के रूप में हो जब तक
कि ऐसा करोंबार उक्त कर-निर्धारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे करोंबार के संबंध में अज्ञात से
लेखा - पुस्तिका नहीं रखी जाती हो ।

16 अक्टूबर

[स्थ-के चीफरी]
अपर सचिव, भारत सरकार

अधिशुल्क की 10370
लेजा मैं,

[क्र.080/97/40/97-आ.क.नि.1]

प्रबंधक,
भारत सरकार भूत,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
[राजीव गांधी के पास],
नई दिल्ली।